

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 2852 / 22-1, मुरादाबाद, दिनांक, मार्च - 10

2015

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद बिजनौर में मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ द्वारा असदपुर धमरौली तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-136 मि0 में पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण से सम्बन्धित है, जो बिजनौर-नूरपुर प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-76 कि0मी0 34 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प का निर्माण प्रस्तावित हैं। प्रभावित वन भूमि 0.0780 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर की पत्र संख्या-3167/14-1,
दिनांक 26-2-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना हैं कि जनपद बिजनौर में मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ द्वारा असदपुर धमरौली तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-136 मि0 में पेट्रोल/डीजल पम्प जो बिजनौर-नूरपुर प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-76 कि0मी0 34 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प का निर्माण प्रस्तावित हैं। जिसमें प्रभावित वन भूमि 0.0780 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
संलग्नक- प्रस्ताव 2 मूल प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 2852 / 22-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।